न्यायालय सहायक कलक्टर बाप केम्प कानसिंह की सिड
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 88/2016

	बनाम	प्रतिवादीगण
आईदानसिंह उर्फ आदुसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपुत निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर		1 गोपालसिंह पुत्र पाबूसिंह जाति राजपुत निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला ज़ोधपुर 2 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक कानसिंह की सिड 3 श्रीमान तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:–

1. वादी स्वंय उपस्थित
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 25/05/2017

त्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 केम्प कानसिंह की सिड में पेश दी के वाद का सार संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की सरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/23 रकबा 90.12 बीघा भूमि सरहद मौजा की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी की उक्त भूमि खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/23 रकबा 90.12 बीघा से 6 बीघा भूमि वादी को जरिये पंजिबद्व विक्रय पत्र के दिनांक 08/03/1996 को र दी थी और उसी दिन मौके पर चल कर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कब्जा भी र दिया था। वादी उक्त भूमि पर खरीद के दिन से आज दिन तक लगातार कब्जा । वादी ने उन्ही दिनों उक्त विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को दे दी थी। लेकिन हल्का ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं भरा और प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने उक्त सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहन रख दी और उक्त भूमि रहन वादी के नाम उक्त भूमि माफिक विकय दर्ज नहीं हो रही है। इसलिए वादी को ग्राम की सिड के खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/23 रकबा 90.12 बीघा से माफिक विकय पत्र के 6 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया ा। प्रतिवादी संख्या 1 की और वकील मदनगोपाल शर्मा ने उप. होकर इकबालिया जबाब ा पेश किया और माफिक विक्रय पत्र के वादी के नाम 6 बीघा भूमि दर्ज किये जाने का दन किया। और प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि वाद वादीगण स्वीकार होने के पश्चात शेष भूमि पर सम्पूर्ण केसीसी की राशि अदा कर दूँगा। प्रतिवादी संख्या 2 स्वंय उप. हुये किन उनकी और से कोई उजर ऐतराज लिखित में पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने य उप. होकर जबाब पेश किया कि माफिक विक्रय पत्र के वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में किया जाना उचित है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प 2017 में कानसिंह की सिड में हुई। पत्रावली में अभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया ा। बाद बहस व अवलोकन में पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी की मि खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/23 रकबा 90.12 बीघा भूमि बीघा भूमि में 6 बीघा भूमि वादी को जरिये पंजीबंद्व विक्रय पत्र के दिनांक 08/03/1996 को बेचान कर थी और मौके पर वादी को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था। इस की पुष्टि वाद पत्र के य पेश पंजिबंद्व विक्रय पत्र 08/03/1996 की प्रति से होती है। इस तथ्यों को प्रतिवादी ख्या 1 ने भी स्वीकार किया है। वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 53/23 मौजा नसिंह की सिड में क्रय की गई भूमि रकबा 6 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया ना उचित है। वादी ने अपने वाद को तथ्य एंव दस्तावेजात से साबित किया है। इसलिए दी का वाद स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/23 रकबा 90.12 बीघा भूमि में से माफिक विक्रय पत्र के वादी को 6 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश की पालना कर राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर निर्णय की पालना करे। डिकी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.5.17 को राजस्व लोक अदालत केम्प कानसिंह की सिड सेवा केन्द्र में सरे इजलास सुनाया गया।

राजेन्द्र कुमार डांगर- बाप
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)